संख्या–1317 / पांच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ; दिनॉकः 22 जून 2020**

विषय–कोविड–19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कोविड–19 पर नियंत्रण के लिए बचाव एवं रोकथाम की सटीक जानकारी एवं सरकार द्वारा इस हेतु उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना प्रत्येक स्तर पर पहुँचाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी कम में, प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों के समस्त स्तरों (महानिदेशालय / निदेशालय / मण्डल एवं जनपदस्तरीय कार्यालय / ब्लाक स्तरीय कार्यालय) के कार्यालयों / सम्बद्ध या सहयोगी संस्थाओं के कार्यालयों में जहां अधिक संख्या में नागरिक नियमित सेवाओं के लिए आते हैं, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2– तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एवं क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के ऐसे कार्यालयों में, जहां काफी संख्या में कर्मचारियों एवं जनता का आना–जाना होता हो, कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा तथा कोविड हेल्प डेस्क पर संलग्न पोस्टर **(संलग्नक–1 एवं 2)** लगाया जाएगा।
2. कोविड हेल्प डेस्क पर एक कर्मचारी की रोस्टर के आधार पर दो सप्ताह के लिए तैनाती की जाएगी। दो सप्ताह की अवधि पूर्ण होने पर दूसरे कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। हेल्प डेस्क पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को कोविड–19 के लिए अपेक्षित सामान्य जानकारी **(संलग्नक–3)** से भिज्ञ किया जाएगा।
3. कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से मॉस्क एवं ग्लब्स पहना जाएगा तथा आगंतुकों से सम्पर्क करते समय न्यूनतम 2 गज की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी।
4. कोविड हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। लक्षणात्मक लोगों के ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से की जाएगी। इस हेतु संबंधित कर्मी को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी रीडिंग 94 प्रतिशत से कम आने पर प्रकरण मुख्य चिकित्साधिकारी / निकटस्थ सी0एच0सी / जिला चिकित्सालय को सन्दर्भित किया जाएगा। प्रत्येक प्रयोग के पश्चात पल्स आक्सीमीटर को हाइड्रोजन पराक्साइड से विसंक्रमित किया जाएगा।

Pankaj/GO/COME-3

-2-

5. कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा सभी कर्मचारियों को आरोग्य–सेतु एप डाउनलोड करने एवं इसका सकिय उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
6. कार्यालयाध्यक्ष एवं कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों को प्रयोग न किया जाए।
7. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि कोई कर्मचारी खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश से पीड़ित है तो ऐसा कर्मचारी ड्यूटी पर न आए।
8. कोविड हेल्प डेस्क के द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के राज्य टोल फ्री नम्बर **1800–180–5145** या जनपदीय नियंत्रण कक्ष को दिया जाएगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
22.6.20
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या–1317(1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22.6.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

22/06/2020
22/6/2020

संलग्नक -1

कोरोना

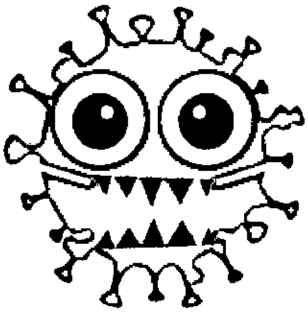

जंग अभी जारी है

लापरवाही से संक्रमण फैल सकता है

स्वस्थ व्यवहार अपनायें, जीवन सुरक्षित बनायें

- भीड़ में जाने पर दो गज की दूरी बनाये रखें।
- बार–बार हाथ साबुन–पानी से धोये।
- सार्वजनिक स्थल पर मुँह व नाक को ढ़के।
- लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

कोरोना संबंधी जानकारी हेतु संपर्क करें

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0

1800-180-5145

अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें

संलग्नक-2

कोविड हेल्प डेस्क

दो गज़ की दूरी, मास्क है जरूरी

सोशल डिस्टेंसिंग
का पालन करें

फेस कवर/
मास्क लगाएं

सैनेटाइजर/साबुन
से हाथ धोएं

आरोग्य सेतु एवं
आयुष सुरक्षा कवच एप
का प्रयोग करें

कोविड संबंधी जानकारी हेतु संपर्क करें

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. **1800-180-5145**

कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कार्यालय : 0000000000
कंट्रोल रूम मुख्य चिकित्सा अधिकारी : 0000000000
जिला सर्विलांस अधिकारी : 0000000000

नोवल CORONA को ना

संलग्नक–3

कोविड हेल्प डेस्क हेतु सामान्य जानकारी

1. कोविड हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी को सदैव मॉस्क पहनना चाहिए तथा अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों से दो गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
2. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को सैनीटाइज कराया जाएगा।
3. खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश आदि से पीड़ित व्यक्ति कोविड के संदिग्ध रोगी हो सकते हैं। अन्य उच्च कोविड संक्रमित राज्यों से आए व्यक्ति भी संदिग्ध रोगी हो सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर **1800–180–5145** पर दिया जाएगा।
4. कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छीकने अथवा संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक सम्पर्क, संक्रमित वस्तुओं को छूने या भीड़ में रहने से कोरोना का संक्रमण प्रसारित हो सकता है। अतः इससे बचने के लिए मॉस्क पहनना चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों से दो गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। हाथों को बार–बार साबनु पानी से कम से कम 30 सेकेण्ड तक धोना चाहिए। भीड़–भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना चाहिए।
5. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा सभी कर्मचारियों/आगंतुकों को आरोग्य–सेतु एप डाउनलोड करने एवं इसका सकिय उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
6. हेल्प डेस्क में तैनात कर्मचारी के द्वारा कार्यालय परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को रोकने हेतु सार्थक प्रयास किया जाएगा।
7. कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त सावधानियॉ अपनाते हुए कोरोना से बचा जा सकता है।